प्रार्थनापत्र लोक अदालत कोटा में दर्ज।

दोनों पक्ष निरस्तीकरण।

प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थिनी की संयुक्त खातेदारी खसरा नम्बर 955/305 रकबा 15 बीघा सरहद मौजा खेड़ा के 1/2 हिस्से में विपक्षीगण प्रार्थिनी की बगैर वाजिब से हस्तक्षेप नहीं करें एवं दौराने दावा विवादग्रस्त भूमि का कब्जा काश्तीस बरकरार रखने आदि के करने हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

राजस्व लोक अदालत न्याय अधिकारी द्वारा उभय ग्राम के पूर्व पक्षों पर चर्चा की गई प्रार्थना पत्र 24-9-18 को दर्ज हुआ लम्बा समय गुजरने के बाद तामीली व पेशगी के पश्चात है। आदेशांक दिनांक 30-11-17 के अनुसार विपक्षीगण सर्वा। भोमाराम की मृत्यु हो गई है। वाद का लम्बा समय गुजरने के बावजूद कारण गुजारा पेश नहीं हुआ। करीब चार वर्ष का समय होने के बावजूद भी प्रार्थिनी तामीली के पक्ष रही है। इतने समय तक कारण गुजारा व तामीली नहीं होने से प्रार्थना पत्र सार हीन है। विपक्षी रेकर्डेड खातेदार है।

अतः प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता है। निर्णय उभय ग्राम के खुले न्यायालय में सुनाया गया पटवारी कुमार मीणा होकर दायित्व निभा रहे हैं।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018 कोटा कोर्ट

Scanned by CamScanner